राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(9)गृह–1/2021 (12474) जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित तिथि

<u>आदेश</u>

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 02.06.2026 के द्वारा की गई अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **वरिष्ठ वेतन श्रृंखला की** निम्नांकित वर्षो के पूर्व में जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

<u>वर्ष 2021–22</u>

राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृखंला वर्ष 2021–22 में श्री कैलाश चन्द मीणा एवं श्री सुगन चंद को पदोन्नत किया जाता है। श्री कैलाश चन्द की वरिष्ठता श्री श्याम लाल/रामप्रताप (एसटी) के ऊपर तथा श्री सुगन चन्द की वरिष्ठता श्री दिनेश कुमार राजौरा के ऊपर निर्धारित की जाती है।

उक्त चयन सूची से चयनित अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह/मोहन सिंह एवं श्री राजेन्द्र सिंह/शिवनारायण का चयन निरस्त किया जाता है।

<u>वर्ष 2022–23</u>

श्री सुरेन्द्र सिंह/मोहन सिंह एवं श्री राजेन्द्र सिंह/शिवनारायण का वर्ष 2021–22 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2022–23 में पदोन्नत किया जाता है। श्री सुरेन्द्र सिंह की वरिष्ठता श्री चॉदमल/सेजाराम के ऊपर निर्धारित की जाती है तथा श्री राजेन्द्र सिंह की वरिष्ठता श्री सुरेन्द्र सिंह के ऊपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त चयन सूची से श्री ओमप्रकाश/नाथूराम एवं श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह/गोकुल सिंह का चयन निरस्त किया जाता है।

<u>वर्ष 2023–24</u>

श्री ओमप्रकाश/नाथूराम एवं श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह/गोकुल सिंह का वर्ष 2022–23 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2023–24 में पदोन्नत किया जाता है। श्री ओमप्रकाश/नाथूराम की वरिष्ठता श्री रणवीर सिंह/गणेशाराम के ऊपर तथा श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह की वरिष्ठता ओमप्रकाश/नाथूराम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त चयन सूची में चयनित अधिकारी श्री राजेश शर्मा/चिरंजीलाल एवं श्री भूपेन्द्र सिंह/लादू सिंह का चयन निरस्त किया जाता है।

मा0 राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण, जयपुर के आदेश दिनांक 29.01.2025 की पालना में श्री सपात खान को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री लाभूराम/पडानाराम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

श्री देवेन्द्र सिंह के विरूद्व विचाराधीन जांच कार्यवाही अन्तर्गत सीसीए नियम 16 में एक वार्षिक वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण सील्ड कवर अभिशंषा को निरस्त किया जाता है।

<u>वर्ष 2024–25</u>

श्री राजेश शर्मा/चिरंजीलाल एवं श्री भूपेन्द्र सिंह/लादू सिंह का वर्ष 2023–24 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2024–25 में पदोन्नत किया जाता है। श्री राजेश शर्मा की वरिष्ठता श्री किशोरी लाल/नारायण राम के ऊपर तथा श्री भूपेन्द्र सिंह की वरिष्ठता श्री राजेश शर्मा के ऊपर निर्धारित की जाती है।

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratnesh Kumar Sharma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2026.06.29 15:10:17 IST
Reason: Approved

D\ V.S.JHALA\Mislenious/Latter

RajKaj Ref No.: 23080765
M e-Sign

श्री सुगन चन्द को वर्ष 2021–22 में तथा श्री सपात खान को वर्ष 2023–24 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2024–25 में रखे गये डेफर प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

श्री देवेन्द्र सिंह/गंगा सिंह की वर्ष 2023–24 में रखी सील्ड कवर अभिशंषा को निरस्त किये जाने के कारण श्री देवेन्द्र सिंह को वर्ष 2024–25 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री कैलाश चन्द/छीतरमल के नीचे निर्धारित की जाती है।

सामान्य की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त चयन सूची से श्री राजेन्द्र सिंह/छत्तू सिंह का चयन निरस्त किया जाता है।

<u>वर्ष 2025–26</u>

श्री राजेन्द्र सिंह/छत्तू सिंह का वर्ष 2024–25 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2025–26 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री महावीर सिंह/नंद सिंह के ऊपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त चयन सूची से श्री प्रशान्त कौशिक/चन्द देव का चयन निरस्त किया जाता है।

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है।

उक्त आरपीएस अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से नोशनल अधार पर वेतन लाभ देय होगा। पदोन्नत एवं वर्तमान में कार्यरत अधिकारीगण अग्रिम आदेशो तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratnesh Kumar Sharma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2026.06.29 15:10:17 IST
Reason: Approved